कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांक-5372 / 29-1 दिनांक, वाराणसी, जून, 18 ,2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

विषय- ओबरा-सी बदायू ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के.वी. डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे. आरक्षित व 0.101 हे. संरक्षित वनभूमि (46.879 हे. वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे. आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे. संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावति 0.265 हे. संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे. आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोठी के पातन अर्थात कुल 88.748 हे. आरक्षित एवं 0.884 हे0 संरक्षित, कुल योग 89.632 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोठी में कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बॉस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1800/11-सी-FP/UP/Trans/40906/2019, दिनांक 05.03.2020 ।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के अन्तर्गत इंगित आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपेक्षित अभिलेख दिनांक 17.06.2020 को प्रभागीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त अपेक्षित आख्या/ अभिलेख अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र.सं.	बिन्दु	आख्या
1	भू-स्वामित्व वाले विभाग, (लो0नि0वि0/एन0एच0ए0आई0/रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार नहीं है। अतः भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड करें।	प्रस्तावक द्वारा भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है जिसकी प्रति संलग्न है।
2	परियोजना से 10 किमी. की परिधि में कोई सेन्चुरी/ वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
3	ऑनलाईन भाग- 2 के क्रमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	सही डाटा फीड कर दिया गया है।
4	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन.पी.वी. की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन.पी.वी. की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड करें।	ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार 04 प्रति।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांक:- 5372 /समदिनांकित

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी